



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228071
CG-DL-E-01072021-228071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2470]
No. 2470]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

गृह मंत्रालय

(जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2664(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 31 मार्च, 2020 में का.आ. 1229(अ) द्वारा यथा-प्रकाशित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 में,—

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
(1)	(2)	(3)	(4)
4	4	“मुख्यमंत्री”	“राज्य का मुख्यमंत्री”
5	21	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
6	5	“धारा 3”	“धारा 4”
10	25	“खंड (क) में, “जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989 की धारा 5” के स्थान पर “प्रैस”	“जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989 की धारा 5” के स्थान पर “प्रैस”

10	27	“खंड (क) में, “जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989 की धारा 26” के स्थान पर “प्रैस”	“जम्मू-कश्मीर प्रैस और प्रकाशन अधिनियम संवत्, 1989 की धारा 26” के स्थान पर “प्रैस”
14	1	“जम्मू-कश्मीर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए वित्त आयोग”	“जम्मू-कश्मीर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग”
16	10	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
20	35	“उपधारा (5) के, दूसरे परंतुक में :—”	“उपधारा (5) में,—”
21	2	“प्रतिकुलपति के परामर्श से “जहां जहां वह आता है” लोप करें”	“दूसरे परंतुक में, “प्रतिकुलपति के परामर्श से, जहां-जहां वह आता है”, का लोप करें”
24	13	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
25	19 और 20	“अध्याय 19” और “अध्याय 17”	“अध्याय 14” और “अध्याय 12”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2664(E).—In the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Order, 2020 as published vide S.O. 1229(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st March, 2020:-

<i>Page No.</i>	<i>Line(s) No.</i>	<i>For</i>	<i>Read</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
50	7	“Chief Minister”	“Chief Minister of the State”
51	30	“102 and 103 of the Code of Criminal Procedure Samvat”	“sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure Samvat”
52	7	“Section 3”	“Section 4”
56	32	“In clause (a), for “section (5)”	“For “section 5”
56	34	“In clause (a), for “section (26)”	“For “section 26”
60	11	“The Jammu and Kashmir Finance Commission”	“The Jammu and Kashmir State Finance Commission”
62	29	and the	“and “the”
67	25	“In sub-section (5), in the second proviso”	“In sub-section (5)”
67	27	“Omit ”	“In the second proviso, omit”
71	13	“For “in”	“For “on”
72	22	“Chapter XIX” and “Chapter XVII”	“Chapter XIV” and “Chapter XII”

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2665(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 5 अक्टूबर, 2020 में का.आ. 3466(अ) द्वारा यथा-प्रकाशित जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 में,—

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
(1)	(2)	(3)	(4)
32	15	“उपधारा (8)”	“उपधारा (5)”
32	18	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
32	20	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
33	25	सिविल सोसाइटी अभिव्यक्ति	“सिविल सोसाइटी” पद
43	13	“क्षेत्र की विधान सभा”	“क्षेत्र की विधान सभा”
43	23	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
44	29	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
44	35	“उपधारा (3), (4) और (5)”	“उपधारा (4) और (5)”
44	35	“उपधारा (2), (3) और (4)”	“उपधारा (3) और (4)”
55	पंक्ति 31 के पश्चात् अंतःस्थापित करें:--		
‘स्पष्टीकरण—“आर्थिक आवश्यकता, जो सभी के लिए सामान्य है” पद से निक्षेपों को स्वीकार किया जाना, बचत, आवर्ती और सावधि जमा खातों का खोला जाना जैसी बैंककारी सेवाएं तथा अल्पकालिक, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना अभिप्रेत नहीं होगा किन्तु इसके अंतर्गत बचत और उधार कार्य हैं।’			
55	पंक्ति 36 और 37 को लोप करें।		
56	पंक्ति 1 और 2 का लोप करें।		
59	24	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
63	8	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
71	16	“खंड (ड) के पश्चात्”	“खंड (च) के पश्चात्”
71	17	“च”	“छ”
73	1 से 3	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
74	पंक्ति 4 से पंक्ति 11 का लोप करें।		
74	पंक्ति 29 से पंक्ति 30 का लोप करें।		
76	21	“खंड (5)”	“खंड (v)”
76	25	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2665(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Third Order, 2020 as published vide S.O. 3466(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5th October, 2020:-

<i>Page No.</i>	<i>Line(s) No.</i>	<i>For</i>	<i>Read</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
93	17	“sub-section (8)”	“sub-section (5)”
93	21	“Svt.”	“Samvat”
93	23	“Svt.”	“Samvat”
94	34	“civil society	“civil society”
104	6	“the Legislative Assembly”	“the Legislative Assembly of”
104	16	“Svt.”	“Samvat”
105	20	“Svt.”	“Samvat”
105	27	“sub-sections (3), (4) and (5)”	“sub-sections (4) and (5)”
105	27	“sub-sections (2), (3) and (4)”	Sub-sections (3) and (4)”
114	After line 43, insert,		

“ Explanation – The expression “ economic need which is common to all ” shall not mean banking services like accepting of deposits, opening savings, recurring and fixed deposit accounts and providing loans under short term, medium term or long term but includes thrift and credit business.”

115	Omit lines 5 to 8		
118	27	“from such that dates”	“from such dates”
121	30	“or “invoice	“or invoice”
129	14	“after clause (e),”	“after clause (f),”
129	15	“(f)	“(g)
130	36	“(12 of 1989)”	“(XII of 1989)”
130	37	“(23 of 1989)”	“(XXIII of 1989)”
131	Omit lines 30 to 39		
132	Omit lines 11 to 12		
134	4	“clause (5)”	“clause (v)”
134	8	“(10 of 1987)”	“(10 of 1897)”

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2666(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 अक्टूबर, 2020 में का.आ. 3654(अ) द्वारा यथा-प्रकाशित जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) चौथा आदेश, 2020 में,—

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
(1)	(2)	(3)	(4)
5	16	“पंच स्थानों”	“सरपंच और पंचों”
7	7	“पदत्याग करने वाला”	“पदत्याग”
8	4	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
12	4	“अध्यक्ष :”	“अध्यक्ष।”
17	29	“धारा 62”	“धारा 61”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2666(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fourth Order, 2020 as published vide S.O. 3654(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (ii), dated the 16th October, 2020:-

Page No.	Line(s) No.	For	Read
(1)	(2)	(3)	(4)
45	7	“ panch seats”	“sarpanch and panch”
46	33	“resigning”	“resign ”
47	19	“Insertion of new Section 2”	omit
50	50	“:”	“.”
55	28	“Section 62”	“Section 61”

[F. No. 11014/05/2014-K.I.]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2667(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 अक्टूबर, 2020 में का.आ. 3808(अ) द्वारा यथा-प्रकाशित जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) पांचवां आदेश, 2020 में,—

पृष्ठ सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़ें
(1)	(2)	(3)	(4)
13	20	“महास्कीम और आंचलिक स्कीम” के स्थान पर,”	“महास्कीम और आंचलिक विकास प्लान” के स्थान पर,”
14	33	“राज्य के स्थायी निवासी” लोप”	“राज्य के स्थायी निवासी को” का लोप”
15	10	“जिनका उल्लेख सरकार राजपत्र”	“जिनका शासकीय राजपत्र”
15	28-29	“तदनुसार इसका आशय “विकास करना” भी होगा।”	“और “विकास करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।”
17	10	“बना रहेगा;”	“बना रहेगा।”
32	32	“करना होगा;”	“करना होगा।”
34	धारा 22कध का पार्श्व शीर्ष	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
38	17	“लागू होना।”पार्श्व शीर्ष अंतःस्थापित करें।	
38		पंक्ति 21 से पंक्ति 24 का लोप करें।	
38	25	“(iii)”	“(ii)”
39	15	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
41	2	“दो अन्य सदस्य;”	“दो अन्य सदस्य।”
43	10	“(1)किसी अन्य विधि”	“किसी अन्य विधि”
43	15	“स्थानीय स्कीम”	“स्थानीय योजना”
43	धारा 119ग का पार्श्व शीर्ष	“स्कीम”	“योजना”
43	18-19	“और क्षेत्रीय स्कीम या स्कीम ओं, यथास्थिति, को तैयार”	“और, यथास्थिति, क्षेत्रीय योजना या योजनाओं को तैयार”
43	20	“क्षेत्रीय स्कीम या स्कीम ओं”	“क्षेत्रीय योजना या योजनाओं”
43	22	“क्षेत्रीय स्कीम या स्कीम ओं”	“क्षेत्रीय योजना या योजनाओं”
44	2	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
44	3	“अध्याय XI”	“अध्याय Xग”
47	18	“लिया जा रहा है।”	“लिया जा रहा है :.”
47	21	“किया जाएगा;”	“किया जाएगा।”

49	21	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
49	29	“बोर्ड;”	“बोर्ड :”
51	3	“करता हो,”	“करता हो।”
51	10	हिंदी पाठ में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	
51	33	“एक गैर-कृषक व्यक्ति”	“(1)कोई गैर-कृषक व्यक्ति,”
51	धारा 133-ठ का पार्श्व शीर्ष	“ट शर्तों के अधीन धारा 133-ज, 133-झ, 133-ञ और 133- भूमि का अंतरण”	“शर्तों के अधीन धारा 133-ज, 133-झ, 133-ञ और 133-ट के अधीन भूमि का अंतरण।”
53	4	“भेजकर;”	“को संदर्भ भेजकर।”
53	9	“बना सकती है।”	“बना सकती है :”
53	13	“सकती है।”	“सकती है :”

[फा. सं. 11014/05/2014-के.1]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

CORRIGENDA

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2667(E).—In the Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws) Fifth Order, 2020 as published vide S.O. 3808(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub –section (ii), dated the 26th October, 2020:-

<i>Page No.</i>	<i>Line(s) No.</i>	<i>For</i>	<i>Read</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
70	9	“For “master and a zonal plan”,,”	“For “Master Plan and Zonal Development Plans”,,”
71	11	“omit “,permanent”	“omit “to permanent”
71	23	“Government Gazette”	“Official Gazette”
72	5	“accordingly:”	“accordingly;”
73	29	“the Government;”	“the Government.”
85	38	“complying therewith;”	“complying therewith.”
86	42-45 Marginal heading of section 22-AS	“No Court to take Cognizance of any Office under this Chapter”	“No Court to take Cognizance of any Offence under this Chapter”
89	38	Insert marginal heading “Application”	
89	Omit lines 42 to 44		
90	Omit line 1		
90	2	“(iii)”	“(ii)”
90	23	“for “whole of the State of Jammu and Kashmir””	“for “whole of the Jammu and Kashmir State” ”
91	26	“Kashmir;”	“Kashmir.”

93	10	“(1) Notwithstanding”	“Notwithstanding”
93	16	“Regional Planning”	“REGIONAL PLANNING”
93	39	“by the Board;”	“by the Board.”
94	1	“CHAPTER XI”	“CHAPTER X-C”
96	20	“the relevant Act.”	“the relevant Act:”
96	23	“to registration;”	“to registration.”
98	11	“crop share; and”	“crop share.”
98	22	“2013);”	“2013):”
99	23	“heard,”	“heard.”
99	32	“all encumbrances; and”	“all encumbrances.”
100	8	“Any non-agriculturist”	“(1) Any non-agriculturist”
101	7	“is involved;”	“is involved.”
101	12	“of section 140.”	“of section 140:”
101	16	“particular area.”	“particular area:”

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.